


22

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दजे रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29.11.22 को पेश हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल


29/11/22

उभय पक्ष कार्य से बाह  
कार्य: पत्रावली ...  
उप अधिकारी राजकीय  
... पर है / पररिक्त है।  
27.11.22 को पेश हो ।

सिडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27/12/22

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी विपक्षी पक्ष, उ के विकल्प कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं विपक्षी ए. 1245 के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाप पत्र किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कक-कक कर आवाजे मिलने के पश्चात भी उपस्थित नहीं। इनके विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का शाप पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सूचक से लिखा जाकर शाप पत्र किया गया। पत्रावली कैसल नुमार होकर नम्बर से कम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हेतुकारी- नारायण लाल जोनगर (आर0ए0एस0)  
हुयम की तारीख  
में जारी हुए था- 232/22 प्रा.पत्र

शान लाल 010 श्री देवीलाल-चाहान (रखणाराजपूत) निवासी-मुडा त. गाँव

-प्रार्थी

बनाम

मिहूसिंह 010 श्री देवीलाल-चाहान (रखणाराजपूत) निवासी-मुडा त.हसील-गाँव [वर्ग]  
(संबंधित 010पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27-12-22

::आदेश::

1 ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम.....मुडा.....पटवार हल्का संतोक्पुरा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 46/8 कुल किता 01 रकबा 0.0632 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह-नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.11.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगडी कराने का गरी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

1. का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मुडा पटवार संतोक्पुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 46/8 किता 01 रकबा 0.0632 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी देने जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख पोक्षक मेसा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार नकर पत्थरगडी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाड़ा